भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1303

उत्तर देने की तारीख 11.12.2023

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता योजना

1303. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित :

श्री राजेश वर्मा :

श्री दुर्गा दास उइके :

श्री राजकुमार चाहर :

श्री रवि किशन :

श्री सुनील बाबूराव मेंढे :

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल :

श्री विनोद लखमशी चावड़ा :

श्री संजय भाटिया :

डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा :

श्रीमती रंजनबेन भट्ट :

श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले :

श्री बसंत कुमार पंडा :

श्रीमती संध्या राय :

श्री शंकर लालवानी :

श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़ :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता योजना के विशिष्ट प्रावधान क्या हैं;

(ख) उक्त योजनाओं हेतु कितनी निधि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटित की गई है; और

(ग) देश में लाभान्वित व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री

(जी. किशन रेड्डी)

(क) : संस्कृति मंत्रालय द्वारा 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम' संचालित की जा रही है जिसमें 08 स्कीम घटक शामिल हैं जिनके माध्यम से सांस्कृतिक संगठनों को कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम' के अंतर्गत जिन स्कीमों के माध्यम से सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, उनका विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख) और (ग): 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम', केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है जिसके तहत पूरे देश में सांस्कृतिक संगठनों (यथा गैर-सरकारी संगठन/ संस्थाएं/ स्वयंसेवी संगठन आदि) को प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता जारी की जाती है। इस प्रकार, इस स्कीम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कोई निधि आवंटित नहीं की गई है। 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम' के लिए 2021-2022 से 2025-2026 तक के पांच वित्तीय वर्षों की अवधि हेतु 353.46 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय अनुमोदित किया गया है जिसका वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
धनराशि (करोड़ रुपये में)	68.79	71.19	71.16	71.16	71.16

इस स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान लाभान्वित संगठनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-II** पर दिया गया है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता योजना' के संबंध में दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1303 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य देश में कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों का आयोजन करते हुए कला और संस्कृति के प्रचार-प्रसार पर ध्यान केन्द्रित करने वाले राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों ('गैर-लाभ-अर्जक' संगठन, एनजीओ, सोसाइटियां, न्यास, विश्वविद्यालय आदि) को वित्तीय सहयता प्रदान करना है। यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के तहत सहायता की राशि 1 करोड़ रुपये तक है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष परिस्थितियों में 20 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों

को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00 लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम उप-घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर जहां बड़ी संख्या में पर्यटक/आगंतुक नियमित रूप से आते हैं और प्रमुख आयोजनों/महोत्सवों के दौरान आगंतुकों की संख्या लाखों तक पहुंच जाती है, नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षा हेतु स्कीम

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुन: सक्रिय करने और पुन: सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

ख स्थानीय महोत्सव और मेले

इस योजना का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव' के लिए सहायता प्रदान करना है।

अनुलग्नक-II

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता योजना' के संबंध में दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1303 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

2. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम

i. आर के मिशन सहित राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष		
		2020-2021	2021-2022	2022-2023
		लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	1
2.	असम	-	-	-
3.	दिल्ली	3	1	7
4.	हरियाणा	0	0	-
5.	कर्नाटक	0	0	1
6.	केरल	-	-	-
7.	महाराष्ट्र	0	0	-
8.	मध्य प्रदेश	0	0	1
9.	ओडिशा	0	0	-
10.	पुद्दुचेरी	0	0	1
11.	राजस्थान	1	1	1
12.	तेलंगाना	-	-	-
13.	उत्तर प्रदेश	1	1	2
14.	पश्चिम बंगाल (नॉर्थ परगना	0	2	-
15.	आर के मिशन	1	1	1
कुल		**6**	**6**	**15**

ii. सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष		
		2020-2021	2021-2022	2022-2023
		लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	34	54	65
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	-
3.	असम	35	25	48
4.	बिहार	51	67	123
5.	चंडीगढ़	7	4	01
6.	छत्तीसगढ़	6	6	03
7.	दिल्ली	144	119	167
8.	गोवा	1	2	01
9.	गुजरात	13	11	17
10.	हरियाणा	28	24	28
11.	हिमाचल प्रदेश	7	14	08
12.	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	32	41	52
13.	झारखंड	1	6	11
14.	कर्नाटक	194	203	218
15.	केरल	23	28	30
16.	मध्य प्रदेश	77	94	141
17.	महाराष्ट्र	34	27	56
18.	मणिपुर	112	93	162
19.	मिजोरम	2	2	-
20.	नागालैंड	3	2	5
21.	ओडिशा	131	149	180
22.	पुद्दुचेरी	-	1	-
23.	पंजाब	5	13	12
24.	राजस्थान	38	33	48
25.	सिक्किम	-	-	-
26.	तमिलनाडु	27	21	15
27.	तेलंगाना	16	9	16
28.	त्रिपुरा	4	5	16
29.	उत्तराखंड	14	16	24
30.	उत्तर प्रदेश	202	235	278
31.	पश्चिम बंगाल	229	310	410
कुल		**1471**	**1615**	**2135**

iii. हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष		
		2020-21	2021-22	2022-23
		लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	26	32	41
2	सिक्किम	06	06	04
3	हिमाचल प्रदेश	26	37	42
4	जम्मू और कश्मीर	14	43	69
5	लद्दाख	07	06	11
6	उत्तराखंड	49	79	58
	कुल	128	203	225

iv. बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं कला के विकास के लिए वित्तीय सहायता

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष**		
		2020-2021	**2021-2022**	**2022-2023**
		लाभार्थियों की संख्या	**लाभार्थियों की संख्या**	**लाभार्थियों की संख्या**
1.	अरुणाचल प्रदेश	31	46	57
2.	आंध्र प्रदेश	3	7	2
3.	असम	6	7	9
4.	बिहार	1	2	2
5.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	4	10	7
6.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3	4	6
7.	हिमाचल प्रदेश	63	81	78
8.	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	1	1	6
9.	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	57	89	45
10.	कर्नाटक	27	38	33
11.	केरल	0	0	1
12.	मिजोरम	1	0	0
13.	मध्य प्रदेश	0	0	5
14.	महाराष्ट्र	4	3	11
15.	मणिपुर	8	0	2
16.	ओडिशा	0	0	1
17.	पंजाब	0	0	2
18.	सिक्किम	1	2	0
19.	त्रिपुरा	5	10	7
20.	तमिलनाडु	1	1	0
21.	तेलंगाना	1	0	2
22.	उत्तराखंड	18	34	26
28.	उत्तर प्रदेश	12	19	27
29.	पश्चिम बंगाल	29	12	72
कुल		**276**	**366**	**401**

v. स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष		
		2020-2021	2021-2022	2022-2023
		लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0
3.	असम	2	2	1
4.	बिहार	0	0	1
5.	छत्तीसगढ़	1	0	1
6.	दिल्ली	1	1	1
7.	हरियाणा	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	1	3	1
9.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
10.	कर्नाटक	2	6	3
11.	केरल	0	0	1
12.	मध्य प्रदेश	2	1	0
13.	महाराष्ट्र	1	2	0
14.	मणिपुर	6	2	4
15.	नागालैंड	3	0	0
16.	ओडिशा	4	1	0
17.	पुद्दुचेरी	0	0	0
18.	पंजाब	0	1	0
19.	राजस्थान	1	0	1
20.	तमिलनाडु	0	0	0
21.	तेलंगाना	1	0	1
22.	उत्तराखंड	1	0	0
23.	पश्चिम बंगाल	2	3	5
कुल		**29**	**22**	**21**

ख. स्थानीय महोत्सव और मेले

क्र. सं.	वर्ष	जारी धनराशि
1	**2020-21**	**721.88**
2	**2021-22**	**956.60**
3	**2022-23**	**762.06**

*****